

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

अधिसूचना

सा.का.नि. ----- (अ)- पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 को ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 6 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 12 जून, 2013 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में ---

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

‘(घक) “प्रकृत व्यक्ति से भिन्न” में “लघु अस्तित्व” शामिल होगी।’

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

‘(चक) “लघु अस्तित्व” से निम्न अभिप्रेत है- (i) वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन लगे हुए किसी उद्यम के मामले में, एक उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)” की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो; और (ii) सेवा प्रदान या उपलब्ध कराने वाले किसी उद्यम के मामले में, एक उद्यम जहाँ उपस्कर में किया गया निवेश “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।’

स्पष्टीकरण : 1.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “उद्यम” से ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई व्यावसायिक समुत्थान या कोई अन्य स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं

के विनिर्माण या उत्पादन में, किसी रीति से लगा हुआ है या किसी ऐसे उद्योग में कोई सेवा या सेवाओं को उपलब्ध कराने या उन्हें प्रदान कराने में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण: 2.- संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश की संगणना में प्रदूषण नियंत्रण, शोध और विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: 3.- भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की निर्देश दर अभिभावी होगी।'

3. मूल नियम के नियम 7 में - उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंधों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“परन्तु यह कि जब कोई पेटेंट के लिए आवेदन या अन्य कोई दस्तावेज़ भौतिक रूप में अर्थात् मुद्रित प्रति के रूप विधान में फाइल किया जाता है, तो दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस संदेय होगा।

परन्तु यह और कि किसी लघु अस्तित्व के संदर्भ में प्रत्येक दस्तावेज़, जिसके लिए कोई फीस विहित है, प्ररूप-28 के साथ संलग्न होगा।”

(ii) “(3क) किसी लघु अस्तित्व द्वारा प्रक्रियागत आवेदन को पूर्णतः या अंशतः किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) को हस्तांतरित करने की स्थिति में उसी मामले में किसी लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस (फीसों) और किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) से प्रभार्य फीस (फीसों) के परिमाण में अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान नए आवेदक द्वारा हस्तांतरण के अनुरोध के साथ किया जाएगा।”

4. मूल नियम के नियम 55 के उप-नियम (1) में “फाइल किए जाएंगे” शब्द के पश्चात् “प्ररूप 7 (क) में” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किये जाएंगे।

5. मूल नियम की पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी,
अर्थात्:-

“पहली अनुसूची
(नियम 7 देखें)
फीस

प्रविष्टि संख्यांक	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप संख्यांक	ई-फाइलिंग के लिए		भौतिक रूप में फाइल करने के लिए			
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस		
				लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए		लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, धारा 54 और धारा 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।	1	1600 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1600 के गुणजों में (i) 160 (ii) 320	4000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4000 के गुणजों में (i) 400 (ii) 800	8000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8000 के गुणजों में (i) 800 (ii) 1,600	1760 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1760 के गुणजों में (i) 176 (ii) 352	4400 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4400 के गुणजों में (i) 440 (ii) 880	8,800 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8,800 के गुणजों में (i) 880 (ii) 1760
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए के।	2	कोई फीस नहीं (i) 160 (ii) 320	कोई फीस नहीं (i) 400 (ii) 800	कोई फीस नहीं (i) 800 (ii) 1600	कोई फीस नहीं (i) 176 (ii) 352	कोई फीस नहीं (i) 440 (ii) 880	कोई फीस नहीं (i) 880 (ii) 1760

3.	धारा 8 के अधीन विवरण और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), नियम 80(1क) और नियम 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर।	4	480 प्रति मास	1200 प्रति मास	2400 प्रति मास	528 प्रति मास	1320 प्रति मास	2640 प्रति मास
5.	नियम 13(6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के हैसियत में घोषणा फाइल करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश को हटाने के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर; (ii) धारा 20(4) या धारा 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6	800	2000	4000	880	2200	4400
		6	800	2000	4000	880	2200	4400
9.	(i) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के	7क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस

	लिए आवेदन फाइल करने पर;							नहीं
	(ii) धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की सूचना पर।	7	2400	6000	12000	2640	6600	13200
10.	नियम 62(2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	--	1500	3750	7500	1650	4125	8250
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	2000	4000	880	2200	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम, 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	6250	12500	2750	6875	13750
13.	आवेदन के प्रकाशन के पूर्व धारा 11ख(4) और नियम 26(1) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन।	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
14.	पेटेंट आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (क) धारा 11ख और नियम 24(1) के अधीन;	18	4000 5600	10000 14000	20000 28000	4400 6160	11000 15400	22000 30800

	(ख) नियम 20(4)(ii) के अधीन।							
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	6000	12000	2640	6600	13200
16.	धारा 51(1) या धारा 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर।	11	2400	6000	12000	2640	6600	13200
17.	धारा 26(1) या धारा 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	6000	12000	2640	6600	13200
18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण हेतु-							
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400

(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400

(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सतरहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	सतरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत।	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/सम्पूर्ण विनिर्देश/अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13						
(i)	पेटेंट मंजूर करने से पूर्व;		800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	पेटेंट मंजूर करने के पश्चात् ;		1600	4000	8000	1760	4400	8800
(iii)	जहाँ संशोधन नाम/पता/		320	800	1600	352	880	1760

	राष्ट्रीयता/सेवार्थ पता में संशोधन होना है।							
21.	धारा 57(4), धारा (61)1 और धारा 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध की सूचना पर।	14	2400	6000	12000	2640	6600	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	6000	12000	2640	6600	13200
23.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना पर।	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	धारा 69(1) या धारा 69(2) और नियम 90(1) या नियम 90(2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	1760 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4400 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8800 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)

	रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।							
26.	नियम 94(1) या नियम 118(1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	--	320	800	1600	352	880	1760
27.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में किसी अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
28.	धारा 84(1), धारा 91 (1), धारा 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर।	17	2400	6000	12000	2640	6600	13200
29.	धारा 85(1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।	19	2400	6000	12000	2640	6600	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के	20	2400	6000	12000	2640	6600	13200

	निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।							
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	6000	12000	2640	6600	13200
32.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	--	--	3520	--	--
33.	नियम 109(3) के अधीन अर्हक परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध पर।	--	1600	--	--	1760	--	--
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए- (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली; (ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	- -	800 800	-- --	-- --	880 880	-- --	-- --
35.	नियम 111क के	--	1600	--	--	1760	--	--

	अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पर।							
36.	नियम 117(1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	23	1600 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--	1760 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--
37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
38.	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय या आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवेदन पर।	24	1600	4000	8000	1760	4400	8800
39.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन पर।	25	1600	4000	8000	1760	4400	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800

	की द्वितीय प्रति के लिए आवदेन पर।							
41.	धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	--	320	800	1600	352	880	1760
44.	धारा 127, धारा 132 और धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध	--	480	1200	2400	528	1320	2640

	पर।							
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ।	--	8	8	8	8	8	8
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण फीस।	--	3200	8000	16000	3250	8800	17600
49.	पूर्वीकता दस्तावेज की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
50.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के	27	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस

अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण के संबंध में विवरण पर।		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
--	--	------	------	------	------	------	------

टिप्पण : सभी प्ररूप, आवदेन, अनुरोध, सूचना, अभ्यावेदन को अनुलिपि रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, परंतु यह कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।”

6. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, “प्ररूपों की सूची” में -

(i) “प्ररूप संख्या 27”, संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7क	धारा 25(1) और नियम 55(1)	धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन किसी पेटेंट अनुदत्त किए जाने का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने के लिए।”
-----	--------------------------	---

(ii) “प्ररूप संख्या 27” के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“28	नियम 2(च क) और 7	किसी लघु अस्तित्व द्वारा उस प्रत्येक दस्तावेज़ के साथ फाइल जिसके लिए फीस निर्दिष्ट है।”
-----	------------------	---

7. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, -

(i) प्ररूप 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप-7क

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

एवं

पेटेंट नियम, 2003
पेटेंट के मंजूर करने पर विरोध के लिए अभ्यावेदन
[नियम 55 देखें]

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता
संख्या-----
के
में/हम-----
को प्रकाशित ----- द्वारा किए गए
दिनांक ----- की आवेदन
के संबंध में पेटेंट मंजूर करने के विरोध
माध्यम से अभ्यावेदन करता हूँ/करते हैं।
2. एक के पश्चात् दूसरे
आधार का उल्लेख।
लिए गए आधार -----
3. पूरा पता डाक सूचक संख्या/कोड
सहित और राज्य के दूरभाष और
फैक्स नंबर के साथ।
भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता है ----

4. विरोध करने वाले या उनकी या
उसके प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट
अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।
हस्ताक्षर -----
5. प्रकृत व्यक्ति का नाम जिन्होंने
हस्ताक्षर किया है।
(-----)

सेवा में,
नियंत्रक, पेटेंट
पेटेंट कार्यालय,
पता -----

(ii) प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप-28
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
एवं

पेटेंट नियम, 2003

किसी लघु अस्तित्व द्वारा दाखिल की जाने वाली
[नियम 2(चक) और 7 देखें]

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता
अंतःस्थापित करें
मैं/हम-----

पेटेंट आवेदन संख्या /पेटेंट संख्या -----
-----के संबंध में
आवेदक/ पेटेंटधारी
यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम नियम
2(च क) के अनुसार एक लघु अस्तित्व हूँ/ हैं
और सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़
प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
2. दस्तावेज़ का विवरण दें।
(i.) छोटे, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम,
2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का साक्ष्य
(भारतीय अस्तित्व के संदर्भ में)
(ii.) कोई अन्य दस्तावेज़ (विदेशी अस्तित्व के
संदर्भ में)
3. आवेदक/पेटेंटी (पेटेंटधारी)
प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट
अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
किया जाय।
यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के
अनुसार सत्य है।
4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम
जिन्होंने हस्ताक्षर किया है
तारीख-----
5. जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर
किया है उनका पदनाम और
शासकीय मुहर, यदि कोई हो।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सेवा में,
नियंत्रक, पेटेंट
पेटेंट कार्यालय,
पता -----

टिप्पण: लघु अस्तित्व होने का दावा करने के योग्य होने के लिए भारतीय अस्तित्व ऊपर वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत करें।”

8. मूल नियम की चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“चौथी अनुसूची
[नियम 136(1) का उपबंध देखें]

प्रविष्टि संख्यांक	मामला जिसके संबंध में लागत दी जानी है	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए	
			लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के सिवाय अन्य के लिए
1	2	3	4	5
1.	धारा 25, धारा 57, धारा 60, धारा 63, धारा 78, धारा 87(2) या धारा 88(4) के अधीन विरोध की सूचना के लिए।	2400	6000	12000
2.	धारा 84(1), धारा 91(1) या धारा 92(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के लिए।	1500	3000	6000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन के लिए।	2400	6000	12000
4.	नियम 62(2) के अधीन सुनवाई के	1500	3000	6000

	फीस।			
6.	नियम 57 के अधीन लिखित कथन या नियम 58 के अधीन लिखित कथन या प्रत्येक शपथ पत्र, यदि सुसंगत हो, के लिए।	4000	4000	5000
7.	कार्यवाही में प्रस्तुत प्रकाशन के प्रत्येक दस्तावेज़, यदि सुसंगत हो, के लिए।	1600	1600	2000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के लिए।	1600	1600	2000
9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिन या आंशिक दिन की सुनवाई के लिए।	4000	4000	5000".

[एफ सं. 14/6/2012-आई. पी. आर.-III]

डी वी प्रसाद

(डी. वी. प्रसाद)

संयुक्त सचिव

पादटिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

- (i) का. आ. 1418 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004
- (ii) का. आ. 657 (अ) तारीख 5 मई, 2006;
- (iii) का. आ. 2296 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2012
- (iv) का. आ. 1029 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2013